P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper -I **Paper Name- Jurisprudence & Legal Theory** **Unit -3**

Q1. विधिक अधिकार का व्यापक अर्थ दीजिये । विधिक अधिकार के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिये ।

उत्तर- **विधिक अधिकार** (Legal Rights) – विधिक अधिकारों से अभिप्राय उन अधिकारों से है जो विधि द्वारा मान्य कर दिये जाते हैं तथा राज्य की सत्ता द्वारा क्रियान्वित किये जाते हैं। विधिशास्त्र का सम्बन्ध इन्हीं अधिकारों से है।

प्रसिद्ध विधिवेत्ता सामण्ड ने विधिक अधिकार को ऐसा हित माना है जिसे राज्य की विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा जो विधि द्वारा संरक्षित है। हित की व्याख्या करते हुए सामण्ड ने कहा है कि 'हित' वह है जिसका ध्यान रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है तथा जिसकी अवहेलना करना अपकार है।

प्रो. ग्रे ने कहा है कि "अधिकार स्वयं हित नहीं है वरन् हित को संरक्षित करने वाला साधन मात्र है।" विधिक अधिकारों को परिभाषित करते हुए प्रो. ग्रे ने कहा है कि "यह वह शक्ति है जिससे कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी कार्य या कार्यों को करने अथवा न करने के लिए उस सीमा तक बाध्य कर सकता है जहाँ तक कि समाज से उसे यह व्यक्ति या व्यक्तियों पर लागू करते हुए प्राप्त होती है।" उदाहरण के लिए, यदि एक आदमी दूसरे को कुछ ऋण देता है तो ऋणदाता का यह हित है कि वह ऋणी व्यक्ति से अपने धन को वापस प्राप्त करे, उसका यह वास्तविक अधिकार नहीं है, बल्कि कानून द्वारा उसे दी गई यह क्षमता कि वह दिया गया ऋण वसूल कर सकता है, उसका विधिक अधिकार होगा।

इहरिंग के मतानुसार, "अधिकार विधि द्वारा संरक्षित है।" कानून का मूल उद्देश्य मानवीय हितों की रक्षा करते हुए मनुष्यों के परस्पर विरोधी हितों के संघर्ष को टालना है। सामण्ड ने इहरिंग द्वारा दी गई इस परिभाषा को अधूरा मानते हुए यह व्यक्त किया है कि विधिक अधिकार के लिए सिर्फ विधि संरक्षण दिया जाना ही पर्याप्त नहीं है वरन् उसे वैधानिक मान्यता भी प्राप्त होनी चाहिए।

हालैण्ड ने विधिक अधिकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि "विधिक अधिकार किसी व्यक्ति में निहित वह क्षमता है, जिससे वह राज्य की सहमति एवं सहायता से अन्य व्यक्तियों के कृत्यों को नियन्त्रित करवा सकता है।" हालैण्ड के मतानुसार, "विधिक अधिकार को राज्य की शक्ति से वैधानिकता प्राप्त होती है।"

जस्टिस होम्स के विचारानुसार, विधिक अधिकार और कुछ नहीं है अपितु कतिपय दशाओं में प्राकृतिक शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति है जिससे लोक बल के आधार पर संरक्षण, प्रत्यास्थापना या प्रतिकर करने का अधिकार मिल सके।

आस्टिन ने अधिकार को निम्नलिखित रूप से विभाजित किया है

"अधिकार एक क्षमता है जो विहित पक्ष या पक्षकारों से भिन्न है जिसमें यह निहित है कि विरुद्ध लागू होती है, " या किसी पक्षकार या पक्षकारों पर अधिरोपित कर्तव्य की समनुरूपी होती है।"

अतः किसी व्यक्ति या पक्ष के पास अधिकार इसलिए है कि दूसरे व्यक्ति उसके सम्बन्ध में करने या न करने से विरक्त रहने के लिए विधिक दृष्टि से बाध्य है।

•**विधिक अधिकारों के आवश्यक तत्व (Essential elements of Legal Rights)** सामण्ड के मतानुसार, विधिक अधिकारों के निम्नलिखित पाँच तत्व होते हैं–

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(1) अधिकार का धारणकर्त्ता, (2) अधिकार से आबद्ध व्यक्ति, (3) अधिकार की अन्तर्वस्तु, (4) अधिकार की विषय-वस्तु, (5) अधिकार का स्वत्व ।

(**1) अधिकार का धारणकर्त्ता (Person of Inherance) –** विधिक अधिकार किसी व्यक्ति में निहित होता है। इस प्रकार के व्यक्ति को अधिकार का स्वामी अथवा हकदार व्यक्ति कहा जाता हैं। विधिक अधिकार का अस्तित्व बिना व्यक्ति के नहीं हो सकता है फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि अधिकार का हकदार व्यक्ति कोई निश्चित या निर्धारित व्यक्ति ही हो। उदाहरणार्थ, एक अजन्मा बच्चा भी अधिकार का हकदार हो सकता है यद्यपि उसके जीवित जन्म लेने के विषय में कोई निश्चितता नहीं होती है।

(2) अधिकार से आबद्ध व्यक्ति (Person of Incidence) – विधिक अधिकार का उपयोग किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति पर तत्सम्बन्धी कर्तव्य करने का भार होता है। अतः जिस व्यक्ति को कर्त्तव्य करते हुए अधिकार का भार उठाना पड़ता है उसे अधिकर से आबद्ध व्यक्ति कहा जाता है।

(3) अधिकार की अन्तर्वस्तु (Contents of Right) — विधिक अधिकार से आबद्ध व्यक्ति को अधिकार के हकदार व्यक्ति के पक्ष में कोई कार्य करने या न करने के लिए बाध्य करना है। इस तरह के कार्य को अधिकार की अन्तर्वस्तु कहते हैं।

(4) अधिकार की विषय-वस्तु (Subject-matter of Right) - अधिकार के धारणकर्ता को जो विधिक अधिकार रहता है वह अवश्य ही किसी वस्तु से सम्बन्धित होता है। हालैण्ड का विचार यह है कि सभी विधिक अधिकारों में इस तत्व का होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए, 'क' का नौकर 'ख' है। यहाँ 'क' अधिकार का धारणकर्त्ता है तथा 'ख' अधिकार से आवद्ध व्यक्ति है। 'क' की सेवा 'ख' के द्वारा किया जाना अधिकार की अन्तर्वस्तु है, परन्तु इसमें अधिकार की विषय-वस्तु कहीं नहीं है।

(5) अधिकार का स्वत्व (Title of the Right) — प्रत्येक विधिक अधिकार के साथ अधिकार से धारणकर्त्ता का स्वत्व जुड़ा होता है। स्वत्व उन घटनाओं या तथ्यों से उत्पन्न होता है जिनके कारण विधिक अधिकार धारणकर्त्ता में निहित होता है।

हालैण्ड के मतानुसार, विधिक अधिकार में सिर्फ निम्नलिखित चार तत्त्व होते हैं---

(1) वह व्यक्ति जिसमें अधिकार निहित है,

(2) अधिकार किसी कार्य या अकार्य से सम्बद्ध होता है,
(3) एक या अनेक व्यक्ति जिनके विरुद्ध अधिकार का प्रयोग किया जा सके अर्थात अधिकार द्वारा आबद्ध व्यक्ति,
(4) अधिकार की विषय-वस्तु ।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper -I **Paper Name- Jurisprudence & Legal Theory** **Unit -3**

Q2. कब्जे (अधिपत्य)की अवधारणा का विश्लेषणात्मक विवेचन करें। विधि द्वारा कब्जे को संरक्षण क्यों प्रदान किया जाता है व्याख्या करे।

आधिपत्य की परिभाषा (Definition of Possession)– विधिशास्त्रियों ने आधिपत्य शब्द की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। यद्यपि आधिपत्य को निश्चित रूप से परिभाषित करना कठिन है, परन्तु फिर भी विधिवेत्ताओं ने इस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में किया है -

सामण्ड के अनुसार, किसी वस्तु एवं व्यक्ति के मध्य जो निरन्तर तथा वास्तविक सम्बन्ध रहता है, उसे आधिपत्य कहते हैं। सामण्ड के अनुसार, किसी भौतिक वस्तु पर आधिपत्य से तात्पर्य यह है कि संसार का कोई भी अन्य व्यक्ति उस वस्तु पर कब्जाधारी के विरुद्ध अधिकार न रखे। अतः यह स्पष्ट है कि सामण्ड ने आधिपत्य को वस्तु से सम्बन्धित माना है न कि अधिकार से ।

मार्कवी के अनुसार, आधिपत्य किसी व्यक्ति का वस्तु पर भौतिक नियन्त्रण, जिसमें कि वैसा करने की क्षमता भी हो, का निर्धारण होता है।

जकारिया के मतानुसार, आधिपत्य किसी वस्तु तथा व्यक्ति के मध्य का ऐसा सम्बन्ध है जो यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति उस वस्तु को धारण किए रहने का आशय रखता है तथा वह उनका व्ययन करने की क्षमता भी रखता

पोलॉक के अनुसार, "आम भाषा में किसी मनुष्य का किसी वस्तु पर उसके कब्जे में होना कहा जाता है जिस पर उसका प्रत्यक्ष नियन्त्रण होता है, या जिसके उपयोग में दूसरों को अपवर्जित करने की उसे प्रत्यक्ष शक्ति है। "

होम्स के अनुसार, "कब्जा पाने के लिये, किसी मनुष्य का पदार्थ से और शेष संसार के साथ कतिपय भौतिक सम्बन्ध होना चाहिए तथा उसका कतिपय आशय होना चाहिए।"

आधिपत्य से सम्बन्धित विभिन्न सिद्धान्त (Various theories relating to the Posse ssion) — आधिपत्य से सम्बन्धित विभिन्न सिद्धान्त निम्नलिखित हैं -

(i) काण्ट का सिद्धान्त (Kant's Theory) --काण्ट का यह मत है कि मनुष्य समान एवं स्वतन्त्र पैदा होता है। स्वतन्त्रता उसकी इच्छा का अंश होती है, अतः आधिपत्य व्यक्ति की आत्मा का प्रतीक है। किसी वस्तु पर आधिपत्य पाकर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा का प्रयोग कर सकता है। हीगल के अनुसार, आधिपत्य मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा का उद्देश्य है । अतः इस प्रकार की स्वतन्त्र इच्छा का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है।

ii) हालैण्ड का सिद्धान्त (Holland's Theory) - हालैण्ड का विचार है कि एक से अधिक उद्देश्य होने के कारण विधि को सम्पत्ति का संरक्षण देना पड़ा जिससे कि शान्ति को स्थापना हो ।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(iii) सैविग्नी का सिद्धान्त (Savigny's Theory) सैविग्नी के मतानुसार आधिपत्य का प्रमुख लक्षण अन्य व्यक्तियों को भौतिक शक्ति के द्वारा अलग रखना है। सैविग्नी का कहना है कि भौतिक अधिकार दो प्रकार के होते हैं- एक तो अधिकार के प्रारम्भ से होता है और दूसरा अधिकार के धारण से। आधिपत्य के प्रारम्भ से सम्बन्धित भौतिक अधिकार का अभिप्राय किसी वस्तु पर वास्तव में अपना ही अधिकार रखना एवं व्यक्तियों को उस वस्तु के उपभोग से अलग कर देना होता है। धारण से सम्बन्धित आधिपत्य का अभिप्राय उस भौतिक अधिकार से होता है, जिसे एक बार प्राप्त किया जा चुका है एवं पुनः उसे इच्छानुकूल उपस्थित किया जा सकता है। .

(iv) इहरिंग का सिद्धान्त (Thering's Theory) – इहरिंग के मतानुसार, आधिपत्य स्वामित्व का द्योतक है। एक व्यक्ति जो स्वामित्व का उपयोग कर रहा हो उसके स्वामित्व की रक्षा करना आवश्यक है।

आधिपत्य के आवश्यक तत्त्व (Essential Elements of Possession) — आधिपत्य की व्याख्या करते समय प्रो. हालैण्ड ने लिखा है कि इसमें दो तत्त्वों का होना आवश्यक है। प्रथम आधिपत्य के अधीन वस्तु पर कोई वास्तविक सामर्थ्य तथा दूसरे उस सामर्थ्य से लाभ उठाने की इच्छा। रोमन विधि में इन दोनों तत्त्वों को क्रमश: कॉरपस (Corpus) तथा एनिमस (Animus) कहा गया है। इन दोनों तत्त्वों को विधिक भाषा में आधिपत्य का काय तथा धारणाशय कहा जा सकता है।

(1) आधिपत्य का काय (Corpus Possessionis) – यह तत्त्व किसी वस्तु पर वास्तविक आधिपत्य का द्योतक है। कॉरपस से अभिप्राय वस्तु पर एकल नियन्त्रण तथा उस वस्तु के प्रति दूसरों को कब्जे से वंचित रखने की क्षमता से है। व्यक्ति का किसी वस्तु पर कब्जा होना यह दर्शाता है कि उस व्यक्ति द्वारा वस्तु के उपभोग में अन्य व्यक्ति बाधा उपस्थित नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में, आधिपत्यधारी को किसी प्रकार की यह आश्वस्ति या सुरक्षा अग्र प्रकार से प्राप्त हो सकती है

(i) आधिपत्यधारी की भौतिक शक्ति (Physical Power of the Possessor) — किसी भी आधिपत्यधारी की भौतिक शक्ति उसे आधिपत्याधीन वस्तु के उपभोग की गारण्टी दिलाती है। इसके बल पर वह अन्यों के हस्तक्षेप के विषय में आश्वस्त रहता है। मकान के आधिपत्य के संरक्षण के लिए दीवार, दरवाजे, ताले आदि इस प्रकार के साधन हैं जो कि आधिपत्याद्वारा अन्य व्यक्तियों को आधिपत्य से अपवर्जित करने के लिए भौतिक शक्ति के रूप में प्रयोग किए जाते हैं।

(**ii) आधिपत्यधारी की व्यक्तिगत उपस्थिति (Personal presence of the Possessor)** — अनेक स्थितियों में किसी वस्तु पर आधिपत्य कायम रखने के लिए आधिपत्यधारी की व्यक्तिगत उपस्थिति पर्याप्त होती है चाहे भले ही उसमें अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप को रोकने की शारीरिक शक्ति न हो। उदाहरण के लिए, किसी बच्चे के हाथ में कोई सिक्का है तो उस सिक्के पर उसका आधिपत्य उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति के ही कारण है।

(iii) गोपनीयता (Secrecy) – यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को इस आशय से छिपाकर रखता है कि उस वस्तु पर उसका आधिपत्य बना रहे तथा उसके उपभोग में बाहरी हस्तक्षेप न होने पाए तो यह उसके आधिपत्य की सुरक्षितता का एक अच्छा उपाय होगा।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(iv) उचित अधिकार के प्रति सम्मान (Respect for Rightful Claim) - आजकल के सभ्य समाज में अधिकारयुक्त दावेदार के आधिपत्य में कोई व्यक्ति अनुचित हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि सदोष दावे को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। अतः आधिपत्य अधिकार युक्त होने पर अन्य व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप करने से बाधित रहते हैं।

(v) आधिपत्य बनाए रखने के आशय की अभिव्यक्ति (Manifestation of Animusdo mini) – किसी भी वस्तु पर आधिपत्य बनाए रखने के आशय के साथ-साथ उस वस्तु को प्राप्त करना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी मकान का आधिपत्य चाहता है तो उसे आधिपत्य रखने के आशय के साथ-साथ उस मकान में प्रवेश करने तथा उसका उपयोग करने की दशा में भी होना चाहिए।

(vi) अन्य वस्तुओं के आधिपत्य द्वारा प्राप्त संरक्षण (Protection afforded by the किसी-किसी समय एक वस्तु पर आधिपत्य उससे सम्बन्धित Possession of Other Things)– या संलग्न अन्य वस्तुओं पर भी आधिपत्य दिलाता है। इस विषय पर विधिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। यह सिद्धान्त कि भूमि पर आधिपत्य की वजह से व्यक्ति को उससे संलग्न सभी वस्तुओं पर आधिपत्य प्राप्त होगा, सदैव लागू नहीं होता है तथा विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

(2) धारणाशय (Animus Possidendi) आधिपत्य को धारण किए रहने की मानसिक इच्छा को धारणाशय कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि आधिपत्यधारी में आधिपत्याधीन वस्तु पर अपना कब्जा बनाए रखने की इच्छा होनी चाहिए। सामण्ड के मतानुसार, दूसरे व्यक्तियों को अपवर्जित करने का आशय आधिपत्य का मानसिक अथवा आत्मगत तत्त्व है। आधिपत्यधारी की इच्छा स्वयं किसी वस्तु का उपयोग करने की हो या न हो किन्तु आधिपत्य के लिए उसकी यह इच्छा होना आवश्यक है कि वह दूसरे व्यक्तियों को उस वस्तु में हस्तक्षेप करने से अपवर्जित करे। आधिपत्य सम्बन्धी मानसिक इच्छा के विषय में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं

(i) आधिपत्य पाने की मानसिक इच्छा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि यह वैधानिक या न्यायोचित हो। आधिपत्य के लिए सिर्फ यही पर्याप्त है कि आधिपत्यधारी उस वस्तु को अपने आधिपत्य में रखना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को चुरा कर अपने पास रख लेता है तो उस वस्तु पर उसका आधिपत्य वस्तु के वास्तविक मालिक से किसी भी प्रकार कम नहीं है।

(ii) आधिपत्यधारी का दावा अनन्य होना चाहिए अर्थात् उसमें दूसरे व्यक्तियों को अपवर्जित करने का आशय होना चाहिए। फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि अपवर्जन आत्यन्तिक (Absolute) हो ।

(iii) धारणाशय का यह अर्थ नहीं होता है कि आधिपत्य स्वामी के रूप में वस्तु को प्रयोग करने का आशय रखे। उदाहरणार्थ, एक किरायेदार अपने मकान मालिक के घर पर आधिपत्य रखता है यद्यपि वह उसका स्वामी नहीं होता है।

(iv) इच्छा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह धारणकर्ता की ही ओर से प्रकट की जाए। किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से भी वस्तु पर आधिपत्य की इच्छा रखी जा सकती है। उदाहरण के लिए नौकर, न्यासी, अभिकर्ता वस्तु को स्वयं के लिए धारण नहीं करते हैं बल्कि दूसरे व्यक्तियों के लिए धारण करते हैं।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(v) इच्छा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह विशिष्ट रूप में ही हो। यह सामान्य रूप से भी हो सकती है। उदाहरण के लिए व्यक्ति को अपने पुस्तकालय में रखी सभी पुस्तकों पर आधिपत्य प्राप्त होता है, चाहे उनमें से कुछ के अस्तित्व के विषय में उसे जानकारी भले ही न हो ।

Q3. स्वामित्व के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिये स्वामित्व तथा कब्ज़ा के मध्य अंतर समझाइये ।

विधिशास्त्रियों ने स्वामित्व को भिन्न-भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। प्रायः सभी विधिवेत्ता यह स्वीकार करते हैं कि समस्त विधिक अधिकारों में स्वामित्व का अधिकार सर्वाधिक प्रबल तथा पूर्णतम होता है।

मार्कबी के मतानुसार, किसी वस्तु पर स्वामित्व होना यह दिखाता है कि उस वस्तु से सम्बन्धित सभी अधिकार उस व्यक्ति में निहित हैं। इसलिए स्पष्ट है कि स्वामित्व, किसी व्यक्ति एवं किसी वस्तु के बीच ऐसे सम्बन्धों का प्रतीक है जो उस वस्तु से सम्बन्धित सभी अधिकार उस व्यक्ति में निहित करता है। मार्कबी स्वामित्व को अधिकारों का समायोग मात्र न मानते हुए इसे एक स्वतन्त्र व्यापक अधिकार के रूप में मान्य करते हैं।

हिबर्ट के विचार से स्वामित्व के अन्तर्गत चार प्रकार के अधिकार सन्निहित होते हैं, जो निम्नलिखित हैं–

(i) वस्तु के प्रयोग का अधिकार,

(ii) दूसरों को उस वस्तु से अपवर्जित करने का अधिकार,

(iii) उस वस्तु को नष्ट करने का अधिकार,

(iv) उस वस्तु के व्ययन का अधिकार ।

आस्टिन ने स्वामित्व की परिभाषा करते हुए कहा है कि "स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बन्धित तथा अवधि की दृष्टि से असीमित है।" ऑस्टिन द्वारा दी गयी परिभाषा वास्तविकता के निकट होते हुए भी अपूर्ण प्रतीत होती है क्योंकि वर्तमान समाज में स्वामित्व सम्बन्धी अनेक ऐसी जटिलताएँ हैं। जिनका समाधान ऑस्टिन की परिभाषा में नहीं मिलता है।

सामण्ड के अनुसार, "स्वामित्व व्यापक रूप में व्यक्ति तथा उस व्यक्ति को किसी वस्तु पर प्राप्त अधिकार के पारस्परिक सम्बन्ध को व्यक्त करता है।" सामण्ड के मतानुसार, इस व्यापक अर्थ में स्वामित्व के सभी प्रकार के अधिकार सम्मिलित होते हैं चाहे वे साम्पत्तिक हों या वैयिक्तक, चाहे वे स्वसाम्पत्तिक हों या परसाम्पत्तिक, चाहे वे लोकलक्षी हों या व्यक्तिलक्षी ।

हॉलैण्ड के अनुसार स्वामित्व किसी पदार्थ पर पूर्ण नियन्त्रण है। हॉलैण्ड के मतानुसार स्वामी को स्वामित्व में के पदार्थ पर तीन अधिकार होते हैं

(i) कब्जा, (ii) उपभोग, एवं (iii) व्ययन ।

आधुनिक समय में सामाजिक संगठन और आर्थिक सम्बन्धों के जटिल रूप को देखते हुए स्वामित्व शब्द को विस्तृत और व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में सामण्ड की परिभाषा सर्वाधिक स्वीकार्य प्रतीत होती है।

स्वामित्व के लक्षण - स्वामित्व के निम्नलिखित प्रमुख लक्षण होते हैं

(i) स्वामित्व या तो पूर्ण होता है या सीमित होता है। जब एक ही वस्तु या सम्पत्ति के अनेक सहस्वामी होते हैं तो प्रत्येक स्वामी का अधिकार दूसरे सहस्वामी के अधिकार द्वारा सीमित होता है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(ii) राष्ट्रीय संकटकाल में भी स्वामित्व सीमित हो जाता है। उदाहरण के लिए, युद्धकाल में सेना के लिए भवनों को अर्जित किया जा सकता है।

(iii) स्वामी को अपने स्वामित्व के उपयोग के लिए राज्य को कर भी देना पड़ता है। अतः कर भी स्वामित्व को सीमित करता है।

(iv) कोई भी स्वामी अपने स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग इस प्रकार नहीं करता है कि जिससे दूसरे स्वामियों के अधिकारों का उल्लंघन हो। उसे अपने अधिकार का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे अन्य लोगों को क्षति न पहुँचे।

(v) स्वामी को यह भी स्वतन्त्रता नहीं है कि जिस तरह चाहे उस तरह अपनी सम्पत्ति को हस्तान्तरित करे। वह अपने ऋणदाताओं को धोखा देने के लिए अपनी सम्पत्ति को कभी हस्तान्तरित नहीं कर सकता है।

(vi) विधि के अन्तर्गत नाबालिग अथवा पागल व्यक्ति स्थावर सम्पत्ति पर स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विधिक धारणा यह है कि इस प्रकार के व्यक्ति अपने कार्यों की वास्तविक प्रकृति तथा उसके परिणामों को समझने की क्षमता नहीं रखते हैं। (vii) स्वामित्व स्वामी की मृत्यु के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता है। यह स्वामी के उत्तराधिकारी के हाथ में चला जाता है। (ब), स्वामित्व के प्रकार (Kinds of Ownership) - **स्वामित्व निम्नलिखित प्रकार का होता है–**

(i) मूर्त तथा अमूर्त स्वामित्व ।

(ii) न्याय स्वामित्व तथा हित-प्रद स्वामित्व

(iii) विधिक स्वामित्व तथा साम्यिक स्वामित्व

(iv) एकल स्वामित्व तथा सहस्वामित्व ।

(v) निहित स्वामित्व तथा समाश्रित स्वामित्व ।

(1) मूर्त तथा अमूर्त स्वामित्व (Corporeal and Incorporeal Ownership)-

किसी व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं पर प्राप्त स्वामित्व को मूर्त स्वामित्व कहते हैं। पार्थिव वस्तु से आशय उन वस्तुओं से है जिन्हें ज्ञानेन्द्रियों द्वारा देखा, परखा या स्पर्श किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भूमि, मकान आदि। पोलक के अनुसार, "मूर्त स्वामित्व के आशय पार्थिव वस्तु के वैध प्रयोग के पूर्ण अधिकार से है।" "

किसी व्यक्ति के अधिकारों का स्वामित्व अमूर्त स्वामित्व कहलाता है। अधिकार वैयक्तिक, साम्पत्तिक, लोकलक्षी या व्यक्तिलक्षी किसी भी स्वरूप का हो सकता है। अधिकार एक इस प्रकार की अमूर्त प्रकल्पना है जिसकी अनुभूति ज्ञानेन्द्रियों द्वारा नहीं की जा सकती है, उदाहरण के लिए, कापीराइट अमूर्त स्वामित्व की विषय-वस्तु कोई पार्थिव वस्तु नहीं होती है बल्कि अधिकार जैसे अमूर्त प्रकल्पना होती है।

(2) न्यास-स्वामित्व तथा हितप्रद स्वामित्व (Trust and Baneficial Ownership) सम्पत्ति का न्यास द्वैध स्वामित्व का उदाहरण है। न्यास की गयी सम्पत्ति पर एक ही समय में दो व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। एक तरफ तो न्यासी का उस सम्पत्ति पर स्वामित्व होता है तथा दूसरी तरफ हिताधिकारी को भी उस सम्पत्ति पर स्वामित्व प्राप्त होता है। न्यास की गयी सम्पत्ति पर न्यासी के स्वामित्व को न्यास स्वामित्व कहते हैं एवं उसी सम्पत्ति पर हिताधिकारी के स्वामित्व को हितप्रद स्वामित्व कहते हैं। न्यासी का स्वामित्व हिताधिकारी के कल्याण

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

के लिए ही होता है, अतः न्यासी नाममात्र का स्वामी होता है एवं वह न्यस्त सम्पत्ति का उपयोग स्वयं के लाभ के लिए नहीं कर सकता है। न्यस्त सम्पत्ति का वास्तविक स्वामित्व हिताधिकारी में निहित होता है।

(**3) विधिक स्वामित्व तथा साम्यिक स्वामित्व (Legal Ownership and Equitable Ownership)--** जिस स्वामित्व का उद्‌भव सामान्य विधि द्‌वारा हुआ है, उसे विधिक स्वामित्व कहते हैं तथा जिस स्वामित्व का उद्‌भव साम्य के नियमों से हुआ है, उसे साम्यिक स्वामित्व कहते हैं। साम्यिक स्वामित्व को केवल चान्सरी न्यायालय ने ही मान्यता प्रदान की थी। उदाहरण के लिए, किसी न्यासी का स्वामित्व विधिक स्वामित्व होगा जबकि हिताधिकारी का स्वामित्व साम्य द्‌वारा होने की वजह से साम्यिक स्वामित्व कहा जाता है।

4) एकल स्वामित्व तथा सह-स्वामित्व (Sole Ownership and Co-ownership)–अगर स्वामित्व का अधिकार एक ही व्यक्ति में निहित होता है तो इस प्रकार का स्वामित्व एकल स्वामित्व कहलाता है। यदि स्वामित्व का यह अधिकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों में संयुक्त रूप में निहित होता है तो उस स्थिति में प्रत्येक का स्वामित्व सह-स्वामित्व कहलाएगा। इसका अभिप्राय यह नहीं होगा कि सभी व्यक्ति उस सम्पत्ति के किसी हिस्से के पृथक्‌-पृथक्‌ स्वामी हैं। स्वामित्व का अधिकार एक अविभाज्य अधिकार है तथा वह एक ही साथ अनेक व्यक्तियों में संयुक्त रूप से निहित हो सकता है-

सह-स्वामित्व दो प्रकार का होता है

(i) सामायिक स्वामित्व (Ownership is Common),

(ii) संयुक्त स्वामित्व (Joint Ownership)।

सामान्यिक स्वामित्व (Ownership in Common) में दो या अधिक व्यक्ति एक ही साथ किसी भूमि या वस्तु पर स्वामित्व रखते हैं, उनका कब्जा अविभाज्य रहता है एवं उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अन्य सह-स्वामियों के साथ उस भूमि या वस्तु का स्वामी होता है। इस प्रकार के स्वामित्व में किसी एक सह-स्वामी की मृत्यु हो जाने पर मृतक के अधिकार उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाते हैं।

संयुक्त स्वामित्व (Joint Ownership) में किसी सह- स्वामी की मृत्यु हो जाने पर उसका स्वामित्व भी समाप्त हो जाता है एवं शेष जीवित सह स्वामी उत्तरजीविता के अधिकार (Right of Survivorship) के आधार पर उस सम्पत्ति के पूर्ण स्वामी हो जाते हैं। संयुक्त स्वामित्व को संयुक्त आभोग (Joint Tenancy) भी कहा जाता है।

(5) निहित स्वामित्व तथा समाश्रित स्वामित्व (Vested and Contingent Owenership) यदि स्वामित्व प्राप्त करने सम्बन्धी सभी बातें पूर्ण हो जाती हैं तथा स्वामी का हक पहले से ही पूर्ण रहता है तो वह स्वामित्व निहित स्वामित्व कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अन्तरित कर देता है तो उस दूसरे व्यक्ति को उस सम्पत्ति पर निहित स्वामित्व प्राप्त होगा। यदि स्वामित्व प्राप्त करने सम्बन्धी कुछ बातें घटित हो जाती हैं, लेकिन कुछ अन्य घटित होना या न होना शेष रह जाता है तो इस प्रकार का स्वामित्व समाश्रित स्वामित्व कहा जाता है। निहित स्वामित्व में स्वामी को आत्यन्तिक अधिकार प्राप्त होता है, किन्तु समाश्रित स्वामित्व में वह केवलं सशर्त स्वामी होता है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

समाश्रित स्वामित्व निम्नलिखित दो शर्तों पर निर्भर करता है ।

(i) पुरोभाव्य शर्त (Condition Precedent),

(ii) उत्तर भाव्य शर्त (Condition Subsequent)

पुरोभाव्य शर्त इस प्रकार की शर्त होती है जिसके पूरा होने पर अधूरा हक पूरा हो जाता है। पुरोभाव्य शर्त की दशा में जो अधिकार पहले ही सशर्त अर्जित किया गया होता है वही आत्यन्तिक रूप में अर्जित हो जाता है। उत्तरभाव्य शर्त इस प्रकार की शर्त है जिसके पूरा हो जाने पर हक का लोप हो जाता है अर्थात् वह नष्ट हो जाता है।

निहित स्वामित्व एवं समाश्रित स्वामित्व में निम्नलिखित अन्तर हैं

(i) निहित स्वामित्व किसी शर्त के पूरा होने पर निर्भर नहीं करता है तथा इससे अधिकार का तत्काल सृजन हो जाता है किन्तु समाश्रित स्वामित्व किसी निर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने की शर्त पर निर्भर रहता है।

(ii) निहित स्वामित्व हस्तान्तरणीय होता है तथा उत्तराधिकार में प्राप्त होता है, परन्तु समाश्रित स्वामित्व में ऐसा नहीं होता है।

(iii) अन्तरण द्वारा अन्तरित किये गये निहित स्वामित्व की दशा में यदि अन्तरिती की कब्जा
लेने के पूर्व ही मृत्यु हो जाती है तब भी उसका स्वामित्व निरस्त नहीं होता है, परन्तु समाश्रित स्वामित्व अन्तरिती की मृत्यु हो जाने की दशा में शर्त पूरी होने के पहले कार्यान्वित नहीं हो सकेगा।

(iv) निहित स्वामित्व में अधिकार तत्काल ही प्राप्त हो जाता है चाहे भले ही उसका उपयोग
भविष्य के लिए टल गया हो, किन्तु समाश्रित स्वामित्व में ऐसा अधिकार तुरन्त प्राप्त नहीं होता है। बल्कि वह किसी शर्त के घटित होने या न होने पर निर्भर रहता है।

आधिपत्य तथा स्वामित्व (Possession and Ownership) - आधिपत्य एवं स्वामित्व के परस्पर सम्बन्ध के विषय में विधिशास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये हैं। सामण्ड के अनुसार, आधिपत्य एवं स्वामित्व की विषय-वस्तु प्रायः एक ही होती है। जिस वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त किया जा सकता है उस पर आधिपत्य भी रखा जा सकता है। इसी तरह जो वस्तु आधिपत्याधीन की जा सकती है उस पर स्वामित्व भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं। कुछ अधिकार इस प्रकार के होते हैं, जिन पर मनुष्य का आधिपत्य तो होता है, परन्तु स्वामित्व नहीं होता है। उदाहरण के लिए, ट्रेड मार्क, कॉपीराइट आदि ऐसे अधिकार हैं जिन पर व्यक्ति का आधिपत्य होता है, परन्तु स्वामित्व नहीं होता है। इसके विपरीत कुछ अधिकार इस प्रकार के होते हैं जिन पर व्यक्ति का स्वामित्व तो हो सकता है, परन्तु वह उन्हें अपने आधिपत्य में नहीं ले सकता है। परिणामस्वरूप यह कह सकते हैं कि व्यक्तिलक्षी अधिकारों - पर केवल स्वामित्व ही प्राप्त किया जा सकता है आधिपत्य नहीं, परन्तु लोकपक्षी अधिकारों का आधिपत्य तथा स्वामित्व दोनों ही हो सकता है।

अनेक विधिशास्त्रियों के विचार से स्वामित्व एक इस प्रकार का अधिकार है जो कि राज्य की इच्छाओं के द्वारा विधितः संरक्षित है, जबकि आधिपत्य किसी सम्पत्ति को धारण करने वाले व्यक्ति की इच्छाओं और क्रियाओं के दावे से संरक्षित होता है ।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

सर हेनरी मेन ने आधिपत्य और स्वामित्व के परस्पर सम्बन्ध का विवेचन ऐतिहासिक आधार पर किया है। उनके मतानुसार, ऐतिहासिक दृष्टि से आधिपत्य की धारणा स्वामित्व से पूर्ववर्ती है। वस्तुतः स्वामित्व की धारणा आधिपत्य से ही विकसित हुई है।

इहरिंग ने आधिपत्य एवं स्वामित्व के सम्बन्धों का विश्लेषण करते हुए कहा है कि आधि स्वामित्व की वस्तुगत अनुभूति है । वस्तुतः आधिपत्य उसी तथ्य का नाम है जिसे विधिक दृष्टि में स्वामित्व कहते हैं। आधिपत्य किसी दावे का तथ्यतः व्यवहार है एवं स्वामित्व उसकी विधितः मान्यता है। आधिपत्य वास्तविक तथ्यों का संरक्षण करता है, जबकि स्वामित्व विधि द्वारा संरक्षित होता है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW